पत्र संख्या–वन भूमि–15 / 2016– 1117 व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

राँची, दिनांक– 18/03/2019

विषय :– **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत कोडरमा जिला के मौजा परतांगो के खाता नं0–20, प्लॉट नं0–02, रकबा–(25.11 एकड़) 10.16 हे0 क्षेत्र में पत्थर खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु सर्वश्री रामचन्द्र मेहता, मनोज कुमार मेहता, अमिताभ कुमार के पक्ष में वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–544 दिनांक–10.05.2016 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–967 दिनांक–01.03.2017 से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नकों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। प्रस्ताव की वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

(1) प्रस्तावित वनभूमि कोडरमा वन प्रमंडल में अवस्थित है।

(2) प्रस्ताव के Part-I में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचनायें एवं अभियुक्ति दर्ज की गयी है।

(3) प्रस्ताव के Part-II एवं III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग अंचल की अभियुक्ति एवं मंतव्य दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का Part-IV में अनुशंसा / मंतव्य दर्ज है।

(4) माईनिंग लीज के संबंध मे प्रतिवेदित है कि सहायक खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक–348 दिनांक–01.07.2015 द्वारा विषयगत प्रस्ताव को वन विभाग से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही खनन् पट्टा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(5) प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा	थाना एवं थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (हे0)	वैधानिक स्थिति
1.	कोडरमा	परतांगो	कोडरमा / 354	20	02	10.16	R.F

(6) प्रस्तावित वनभूमि में जंगल–झाड़ भूमि शून्य है।

(7) प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.1 प्रतिवेदित है।

(8) प्रस्तावित वनभूमि का मौजा मैप संलग्न है।

(9) 1:50,000 स्केल के टापोशीट पर प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित कर मैप संलग्न है।

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

(10) FRA, 2006 के तहत् उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–90 दिनांक–23.02.2016 द्वारा दावा रहित प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(11) प्रस्ताव के साथ अनुमोदित माईनिंग प्लान संलग्न है।

(12) प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विशलेषण संलग्न है।

(13) प्रस्ताव के साथ Geo-reference digital plan shape file में संलग्न है।

(14) प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। कुल–55 वृक्षों का पातन संभावित है।

(15) प्रस्ताव के साथ Land use plan संलग्न है।

(16) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस परियोजना हेतु भिन्न–भिन्न मदों की राशि जैसे–CA, NPV आदि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

(17) प्रस्तावित 10.16 हे0 वनभूमि अपयोजन के बदले समतुल्य गैर वनभूमि CA हेतु गुमला जिला अंतर्गत ग्राम–बराडीह एंव गोमढ़ में चयन किया गया है। इसके साथ चयनित गैर वनभूमि का नक्शा, प्राक्कलन, Geo-reference digital plan एंव संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का CA हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(18) प्रस्ताव के साथ ग्रामसभा/आमसभा की Resolution की प्रति संलग्न है।

(19) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेत प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है कि वन विभाग से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही इस हेतु आवेदन किया जायेगा।

(20) प्रस्तावित वनभूमि पर किसी प्रकार के Violation की सूचना नहीं है।

(21) प्रस्तावित वनभमि पर किसी का विस्थापन होने की संभावना नहीं है।

(22) प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी वायोस्फेयर, टाईगर रिजर्व हाथी कोरिडोर का हिस्सा नहीं है।

(23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक–वन्यप्राणी–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–594 दिनांक–12.05.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन्यप्राणी से संबंधित मंतव्य प्राप्त है।

(24) जिले एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी से संबंधित मूलभूत सूचनायें Part-II की कंडिका–12 में अंकित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्र तथा प्रस्ताव के पार्ट–II में यह उल्लिखित है कि प्रस्तावित स्थल कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से 5.44 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित वनभूमि कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के default इको सेंसिटिव जोन में अवस्थित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक–वन्यप्राणी–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–245 दिनांक–29.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रस्तावित वनभूमि कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी में प्रस्तावित ESZ से बाहर है।

(25) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–19.10.2010 को निर्गत दिशा–निर्देश द्वारा निम्नवत् सूचित किया गया है :–

"..........in case of those projects, which require environmental clearance under EIA notification, 2006 and also involve diversion of forest land for non-forest purposes falling within 10 km of National Park/Sanctuary will have to be placed before the Standing Committee of the National Board for Wildlife."

प्रश्नगत खनन् परियोजना EIA notification, 2006 को आकर्षित करता है।

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

(26) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–19.12.2012 को निर्गत दिशा–निर्देश में ESZ में पड़ रही परियोजनाओं के संबंध में निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है :–

"In pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court dated-4th December, 2005 in Writ Petition (Civil) No-460/2004, in case any project requiring Environmental Clearance, is located within the eco-sensitive zone around a Wildlife Sanctuary or National Park or in absence of delineation of such a zone, within a distance of 10 Kms from its boundaries, the User Agency/Project Proponent is required to obtain recommendations of the Standing Committee of NBWL."

(27) Writ Petition (Civil) No-435/2012 Goa Foundation Vs. UoI & others में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक–21.04.2014 को आदेश पारित किया है, जिसकी कंडिका–45 में निम्न उल्लेख किया गया है :–

Para-45-"............Therefore, until the Central Government takes into account various factors mentioned in sub-rule (1), follows the procedure laid down in sub-rule (3) and issues a notification under Rules 5 prohibiting mining operations in a certain area, there can be no prohibition under law to carry on mining activity beyond 1 km of the boundaries of National Parks or Wildlife Sanctuaries."

विषयगत प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभ्रिकरण द्वारा देय होगी।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के समुतल्य गैर वनभूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए उक्त गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) विषयक प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना होगा।

(v) चूँकि प्रस्तावित वनभूमि default ESZ (10 कि०मी० परिधि) में पड़ रहा है, इसलिए प्रयोक्ता अभिकरण को SBWL एवं NBWL की स्टैंडिंग कमिटि की अनुशंसा प्राप्त करनी होगी।

(vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–15/2016– 1117 व०प०, राँची, दिनांक– 18/03/2019

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–15/2016– 1117 व०प०, राँची, दिनांक– 18/03/2019

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/मेसर्स सर्वश्री रामचन्द्र मेहता, मनोज कुमार मेहता, अमिताभ कुमार, ग्राम–बिघा, डाकघर–फुलवरिया, थाना–नवलशाही, जिला–कोडरमा, झारखण्ड–825418 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 10.16 ha of Forest Land for Stone Mining (Koderma Forest Division) in favour of M/s Shri Ramchandra Mehta, Manoj Kumar Mehta, Amitabh Kumar.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 10.16 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 1117 ***dated-***18/03/2019

Signature : 15/3/19

Name & Designation : Sunil Kumar
(O.S.D.)
Forest, Environment & Climate
Change Department

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : ....

Place : Ranchi

(Official Seal)